

(ख) 1. जी हां । प्लान्ट एनीमल रिलेशनशिप डिबीजन के श्री एस० सी० गुप्त पशु पोषण के अनुसन्धान क्षेत्र में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में पी० एच० डी० कर रहे हैं ।

2. संस्थान में अनुसन्धान करने के लिये बाहर से चार उर्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

(1) पौध रोग विज्ञान के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये श्री वी० पी० वर्णे, लेक्चरर, विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी ।

(2) कार्बनिक रसायन शास्त्र में अनुसन्धान कार्य करने के लिए श्री पी० सी० सिंघल, लेक्चरर, विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी ।

(3) कार्बनिक रसायन शास्त्र में अनुसन्धान कार्य करने के लिये श्री एस० एल० अग्रवाल, लेक्चरर, विपिन बिहारी महा-विद्यालय, झांसी ।

(4) रसायन शास्त्र तथा पोषण तत्वों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये श्री जे० एल० कारचा, अनुसन्धान सहायक, पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय, लुधियाना ।

(ग) श्री वी० पी० वर्णे ने प्रस्तावित अनुसन्धान कार्यक्रम के लिये सिनोपसिस प्रस्तुत नहीं की ।

सर्वश्री पी० सी० सिंघल तथा एस० एल० अग्रवाल को संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन-शास्त्र के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये सुविधायें नहीं दी जा सकीं क्योंकि यह विषय संस्थान के स्वीकृत अनुसन्धान कार्यक्रम का भाग नहीं है ।

श्री जे० एस० कारचा की उर्मीदवारी उच्च अनुसन्धान विषयक पी० एच० डी० करने के लिये कृषि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई, अतः उनके प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया गया ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

4519. डा० गोविन्द दास रिद्धारिया : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य की दृष्टि से कि उपकुलपतियों की नियुक्तियों अथवा उसके पद पर बने रहने के प्रश्न को लेकर विश्व-विद्यालयों में अधिकांश छात्र आन्दोलन होते हैं, क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में एकरूपता लाने का है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरल हसन) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालयों के छात्र-आन्दोलनों का कुलपतियों की नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

किसी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों के उपबन्धों के अनुसार ही की जाती है । विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अधिशासन सम्बन्धी गजेन्द्रगडकर समिति ने विश्वविद्यालयों के अधिशासन के विषय में अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की है कि कुलपति की नियुक्ति यथाविधि गठित समिति द्वारा सुझाये गये नामों के पेनल में से विजिटर (केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के मामले में भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल) द्वारा की जा सकती है । समिति को सिफारिशें भारत सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली हैं तथा उन्हें सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

Retrenchment due to introduction of 10th Class Scheme

4520. SHRI GADADHAR SAHA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether all Higher Secondary Schools in the country are required to

submit statement of surplus staff and District Inspectors of Schools of the States introducing 10th Class Scheme in Secondary Schools are directed to obtain this sort of statements from the Head of the Institutions;

(b) if so, whether it is likely to result in service termination of the staff engaged in these institutions due to the introduction of that new scheme of education in the country;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) what is the main objective of the new scheme of Secondary education and to what extent it will be served?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) No such instruction has been issued by this Ministry.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The main objectives are: (1) to have a broadly uniform structure of Education in all parts of the country as envisaged in the National Policy on Education and (2) to postpone the choice of elective subjects by students by two years so that they will be more mature to decide on a career.

Central Institute of Indian Languages in Mysore

4521. **SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the functions of the Central Institute of Indian Languages, Mysore, and whether it is under the administrative control of his Ministry;

(b) the total financial assistance received by this Organisation from the Centre. to date; and

(c) whether the Organisation has received assistance from foreign sources and PL 480 counter-part fund and if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) The Central Institute of Indian Languages is a "subordinate office" of the Ministry of Education and Social Welfare which was established at Mysore in July, 1969 in order to assist and coordinate the development of Indian Languages, to promote pure and applied research in languages, to bring about the essential unity of Indian Languages through scientific study and inter-linguistic research, to make a study of the tribal and border languages, to develop instructional material for teaching these languages and to shorten the period of instruction by defining the objectives of language learning and by using the latest methods of teaching languages.

Four Regional Language Centres have also been set up under the administrative control of the Institute to give training to language teachers with a view to providing incentive to the States on an even basis for the implementation of the Three Language Formula by making available facilities:—

- (i) to Hindi speaking States to get some of their secondary school teachers trained in non-Hindi language, and
- (ii) to non-Hindi speaking States to get some of their secondary school teachers trained in an Indian Language other than their State language and Hindi.

(b) The expenditure on the working of the Central Institute of Indian Languages, Mysore upto 1972-73 has been Rs. 23.86 lakhs approximately. For 1973-74 there exists a budget provision of Rs. 16.20 lakhs.

(c) The Institute has available to it Ford Foundation grant amounting to \$683,000 valid upto 30-4-1975 for import of equipment obtaining the services of foreign specialists, and for